प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2021*

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलाब पुत्र श्री श्याम कुर्मी, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गुलाब पुत्र श्री श्याम कुर्मी, जो पड़नी खुर्द, थाना-चौक, जनपद-महराजगंज का निवासी है। चुनावी रंजिश को लेकर बन्दी द्वारा दिनांक 11.02.1985 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-270/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम अपर जिला न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 19.12.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2020 तक 07 वर्ष 02 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, रिहा होने पर अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलाब (बन्दी संख्या-148/2017) पुत्र श्री श्याम कुर्मी, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-128/2021/1220(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।